न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 64/2022 बउनवानी रामकरण शर्मा बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर
पुत्र प्रताप शर्मा निवासी सूरवाल तहसील सवाईमाधोपुर

GCMS No-2022/ 112

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
29.7.2022	

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 24.5..2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः—

1. प्रार्थी का तकासमा दावा निर्णय दिनांक 24.6.2015 के अनुसार राजस्व ग्राम सूरवाल मे स्थित ख0न0 3536,3537,3470,3221,3530,3531,3470,3535, 3471/6455, 3221,3529 के तकासमा की प्रमाणित नकल मय नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार के आदेश दिनांक 9.7.2015/एलआर/15/5763 की अनुपालना में मौका रिपोर्ट व तरमीम की प्रमाणित नकले।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक /भू.अ./2022/6011 दिनांक 27.7.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक 6010 दिनांक 27.7.2022 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इस प्रकार वांछित सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 24.5.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना मे से राजस्व ग्राम सूरवाल मे स्थित ख0न0 3536,3537,3470, 3221,3530,3531, 3470, 3535, 3471/6455, 3221,3529 के तकासमा की प्रमाणित नकल एवं तहसीलदार के आदेश दिनांक 9.7.2015/एलआर/15/5763 की प्रति अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। किन्तु उक्त ख0न0 की नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर के आदेश दिनांक 9.7.2015 की पालना रिपोर्ट अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः उक्त नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर के आदेश दिनांक 9.7.2015 की पालना रिपोर्ट 15 दिवस मे अपीलान्ट को निःशुल्क उपलब्ध करवाने बाबत तहसीलदार सवाईमाधोपुर निर्देशित किया जाता है। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट [illegible] निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील [illegible] रिकार्ड [illegible] की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:29:41 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर